<u>आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर</u>

<u>सुश्री सुचित्रा आर. कांबले, न्यायिक सदस्य तथा</u>
<u>श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष</u>

<u>आ.अ.सं. 318/इंदौर/2023</u>
<u>निर्धारण वर्ष : 2015-16</u>

श्रीमती रुकमाबाई पाटीदार, दौलतगंज, उज्जैन	बनाम	आयकर अधिकारी, 1(2), उज्जैन
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं- एसीयूपीपी 1667 एल PAN- ACUPP1667L		

अपीलार्थी की ओर से	श्री हर्ष चौकसे, सीए
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	19.02.2025
उद्घोषणा तिथि	28.02.2025

<u>आदेश</u>

<u>सुश्री सुचित्रा आर. कांबले, न्यायिक सदस्य द्वारा</u>

निर्धारण वर्ष 2015-16 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, दिल्ली के आदेश दिनांक 05.06.2023 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि आयकर अधिकारी 1(2), उज्जैन के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन आदेश दिनांक 28.12.2017 से उद्भूत है ।

2. रजिस्ट्री द्वारा सूचित किया गया है कि यह अपील 14 दिनों से कालबाधित है । इस संबंध में निर्धारिती द्वारा विलंब की माफी हेतु आवेदन दाखिल किया गया है जिसमें यह निवेदन किया गया कि निर्धारिती तथा उसके पूर्ववर्ती अधिवक्ता में आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के विरूद्ध अपील दाखिल करने के संबंध में मतभेद था और अन्य

अधिवक्ताओं से परामर्श लेने के पश्चात माननीय न्यायपीठ के समक्ष अपील दाखिल करने का निर्णय लिया गया । इस वजह से इस अपील को दाखिल करने में 14 दिनों का विलंब हुआ । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील दाखिल करने में विलंब साभिप्राय तथा जानबूझकर नहीं किया गया है अतः उन्होंने इस विलंब को माफ करने हेतु अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारिती के इस अनुरोध पर आपत्ति नहीं की । हमने पाया कि अपील दाखिल करने में विलंब तर्कसंगत वजह से हुआ है अतः हम इस विलंब को माफ करते है तथा अपील सुनवाई हेतु लेते है ।

3. इस अपील के संबंध में निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि निर्धारिती ने "**प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024**" के अधीन आवेदन किया है तथा फार्म सं. 1 दाखिल किया है । निर्धारिती के आवेदन के उत्तर में विभाग द्वारा निर्धारिती को फार्म सं. 2 जारी किया गया है तथा निर्धारिती ने फार्म सं. 2 के अनुसार देय राशि का भुगतान भी कर दिया है । निर्धारिती द्वारा फार्म सं. 1 एवं 2 की प्रतियां भी दाखिल की गई हैं । अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने की इच्छुक नही है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है। अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

4. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगी यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 28.02.2025 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(बी.एम. बियाणी)	(सुचित्रा आर.कांबले)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 28.02.2025

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल